न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 16/2020/आवेदन 136 एलआरएक्ट

भागीरथ सिंह पुत्र श्री भंवरलाल जाति जाट निवासी रामपुरा (लोसल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

–प्रार्थी/आवेदक

ब ना म

राज्य सरकार जरियेः– तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी/अनावेदक

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act.

उपस्थिति–

श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम, वकील प्रार्थी ओर सें।

निर्णय दिनांक –17.03.2020

1 आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 228/600 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 225/3 रकबा 2.53 है0, खसरा नम्बर 225/2, 606/229 किता 2 कुल रकबा 0.8400 है0 एवं खसरा नम्बर 205, 206/1, 206/2 कुल किता 3 कुल रकबा 3.58 है0 वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी/आवेदक का हक, हिस्सा कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है। प्रार्थी के उक्त हक, हिस्से की खातेदारी भागीरथमल पुत्र भंवरलाल के नाम से दर्ज है जबकि प्रार्थी/आवेदक का सही व वास्तविक नाम भागीरथ सिंह पुत्र भंवरलाल है अर्थात राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम संहन से भागीरथ सिंह की बजाय भागीरथमल दर्ज हो रखा है जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी/आवेदक का सही व वास्तविक नाम भागीरथ सिंह पुत्र भंवरलाल ही है जो कि उसके समस्त पहचान के दस्तावेजात अर्थात राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि एवं अन्य समस्त रिकार्ड में भागीरथ सिंह पुत्र भंवरलाल दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी/आवेदक का नाम भागीरथमल पुत्र भंवरलाल के स्थान पर दुरूस्त कर संशोधित करते हुए भागीरथ सिह पुत्र भंवरलाल दर्ज करवाया जाना अति आवश्यक है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है व प्रार्थी/आवेदक को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वाद कारण अरसा करीब 8/10 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियो व अधिकारियों द्वारा आवेदक का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर अंत में यह

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

इस्तदुआ चाही गई कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजियात खसरा नम्बर 228/600 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 225/3 रकबा 2.53 है0, खसरा नम्बर 225/2, 606/229 किता 2 कुल रकबा 0.8400 है0 एवं खसरा नम्बर 205 206/1, 206/2 कुल किता 3 कुल रकबा 3.58 है0 वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी का नाम भागीरथमल पुत्र भंवरलाल को दुरूस्त कर सही व वास्तविक रूप से ''भागीरथ सिंह पुत्र भंवरलाल'' संशोधित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2 आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ की ओर सें नोटेड कराया गया। प्रार्थी के सहखातेदार व सगे भाई श्रवण कुमार पुत्र भंवरलाल के बयानात लिये गये जिनमें सहखातेदार ने वांछित दुरूस्ती हेतु अनापत्ति जाहिर कर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भागीरथमल पुत्र भंवरलाल के स्थान पर भागीरथसिंह पुत्र भंवरलाल दुरूस्त करने हेतु आग्रह किया। आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के बयानात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व सहखातेदार के बयानात के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **अतः प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा रामपुरा पटवार हल्का लोसल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 228/600 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 225/3 रकबा 2.53 है0, खसरा नम्बर 225/2, 606/229 किता 2 कुल रकबा 0.8400 है0 एवं खसरा नम्बर 205 206/1, 206/2 कुल किता 3 कुल रकबा 3.58 हैक्टर में प्रार्थी का नाम भागीरथमल पुत्र भंवरलाल के स्थान पर भागीरथसिंह पुत्र भंवरलाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ